उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-41/2015/वे0आ0-2-722/दस-69(सामान्य)/2010 टी0सी0,

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2015

<u>कार्यालय- ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि "वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ" में वरिष्ठ परामर्शदाता वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- के पद पर कार्यरत कु0 शाहीना परवीन, जो अधिवर्षता आयु पर दिनांक 31 जुलाई, 2015 को सेवानिवृत्त हो रही है, को वरिष्ठ परामर्शदाता वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- के उक्त पद पर दिनांक 01 अगस्त, 2015 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के लिये निम्निलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्नियुक्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :--

(1) कु0 शाहीना परवीन को पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) पुनर्नियुक्ति की अवधि में कु0 शाहीना परवीन को प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो इनके अंतिम आहरित मूल वेतन में से इनको देय शुद्ध पेंशन (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर आंकलित हो तथा कु0 शाहीना परवीन को देय मंहगाई भत्ता अंतिम आहरित मूल वेतन पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समतुल्य होगा।

(3) कु0 शाहीना परवीन को पुनर्नियुक्ति की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम 197ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भॉति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पुनर्नियुक्ति की अवधि की गणना पेंशन के लिये नहीं की जायेगी तथा पद का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) पुनर्नियुक्ति की अवधि में कु0 शाहीना परवीन को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता इनके अंतिम आहरित वेतन के ग्रेड वेतन के अन्तर्गत अनुमन्य दरों पर देय होगा।

(6) पुनर्नियुक्ति की अवधि में कु0 शाहीना परवीन को पेंशन पर मंहगाई भत्ता राहत या अस्थायी वृद्धि (तदर्थ वृद्धि) यदि कोई देय हो, देय नहीं होगी।

(7) कु0 शाहीना परवीन, वरिष्ठ परामर्शदाता को वही सुविधाएं अनुमन्य होंगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थीं।

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-41/2015/वे0आ0-2-722(1)/दस-69(सामान्य)/2010 टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद/लखनऊ।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) सचिव, कार्मिक अनुभाग-1

(5) निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

(7) सम्बन्धित अधिकारी।

(8) विभागीय आदेश पुस्तिका।

(9) राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in